

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

क. एफ 13-23/2012/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर, 2013  
प्रति

शासन के समरत विभाग,  
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,  
समरत संभागीय आयुक्त,  
समरत विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)  
छत्तीसगढ़.

विषय :- छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 (क. 13 सन् 2013) बाबत।

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क. 13 सन् 2013) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 बनाए गये हैं। उक्त नियम की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02 सितम्बर, 2013 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई है।  
की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न प्रेषित है।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



१५६/९/१३  
(एम.आर.ठाकुर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

25/10/2013  
महानदी भवन, नया रायपुर  
छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर